क्रम-संख्या—291

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 24 नवम्बर, 2011
अग्रहायण 3, 1933 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग–1

संख्या– 4349 / 9.1.11–71सा0 / 2011

लखनऊ, दिनांक 24 नवम्बर, 2011

अधिसूचना

प0आ0 581

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 23 की उपधारा (2) और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) की धारा 9–क के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा–296 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम 1916 की धारा 300 की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या : 1728 / 9.1.11–71सा / 2011, दिनांक 26 सितम्बर, 2011 में प्रकाशित आदेश के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात्, उत्तर प्रदेश नगरपालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली, 1994 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर पालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ

(2) यह उत्तर प्रदेश में सभी नगर पालिकाओं पर लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत होगी।